

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, बागेश्वर के माह 01/2017 से 02/2018 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस. एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री एस. के. जौहरी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 08.03.2018 से 20.03.2018 तक सम्पादित की गयी।

#### भाग-1

1). परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अर वंद शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 23.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री डी. एन. मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 05/2011 से 12/2016 तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2).(i).इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अ धकार क्षेत्र:- कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, बागेश्वर के भौगोलिक अ धकार क्षेत्र के अंतर्गत जिला बागेश्वर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं च कत्सालय आते हैं। जनपद के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सु वधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्य च कत्सा अ धकारी के क्रयाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0.00	0.00	571.82	560.21	378.43	369.42	0.00	20.62
2015-16	0.00	0.00	695.20	691.48	304.35	294.66	0.00	13.41
2016-17	0.00	0.00	773.96	773.96	73.27	69.27	0.00	4.00
2017-18 (02/2018 तक )	0.00	0.00	776.34	729.16	122.92	22.86	0.00	147.24

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:  
(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)	बचत (-)
2014-15	RCH-II Flexipool	141.45	239.22	215.56	0	165.11
	NRHM Additionalities	76.58	121.50	100.69	0	97.39
	Immunization	22.29	30.33	25.45	0	27.17
	IDSP	1.27	10.76	10.46	0	1.57
	Blindness (NBCDP)	5.52	10.36	3.92	0	11.96
	NLEP	0.24	0.34	0.42	0	0.16
	NVBDCP (Vector Born)	0.48	0.02	0.07	0	0.43
	RNTCP	1.21	18.50	19.33	0	0.38
2015-16	RCH-II Flexipool	165.11	159.19	239.62	0	84.68
	NRHM Additionalities	97.39	145.78	195.83	0	47.34
	Immunization	27.17	47.26	30.23	0	44.20
	IDSP	1.57	13.90	12.15	0	3.32
	Blindness (NBCDP)	11.96	0.53	3.51	0	8.98
	NLEP	0.16	0.74	0.44	0	0.46
	NVBDCP (Vector Born)	0.43	1.22	0.89	0	0.76
	RNTCP	0.38	37.11	32.66	0	4.83
2016-17	NPPCD	0.00	8.91	1.35	0	7.56
	RCH-II Flexipool	84.68	216.13	222.01	0	78.80
	NRHM Additionalities	47.34	268.48	250.32	0	65.50
	Immunization	44.20	3.99	31.10	0	17.09
	IDSP	3.32	7.33	7.45	0	3.20
	Blindness (NBCDP)	8.98	0.69	3.42	0	6.25
	NLEP	0.46	0.56	0.74	0	0.28
	NVBDCP (Vector Born)	0.76	2.72	1.79	0	1.69
	RNTCP	4.83	23.92	24.89	0	3.86
	NPPCD	7.56	6.28	0.00	0	13.84
	NTCP	0.00	11.15	0.39	0	10.76
	NPCDCS	0.00	20.23	0.00	0	20.23
	NOHP	0.00	6.17	1.13	0	5.03
	NPHCE	0.00	15.51	0.00	0	15.51
2017-18	NMHP	0.00	6.08	0.00	0	6.08
	RCH-II Flexipool	78.80	90.10	100.14	0	68.76
	NRHM Additionalities	65.50	171.85	135.26	0	102.09
	Immunization	17.09	38.45	34.40	0	21.14
	IDSP	3.20	2.56	2.84	0	2.92
	Blindness (NBCDP)	6.25	3.11	1.54	0	7.82
	NLEP	0.28	0.22	0.06	0	0.44
NVBDCP (Vector Born)	1.69	1.06	0.27	0	2.48	

RNTCP	3.86	14.38	10.12	0	8.12
NPPCD	13.84	-5.27	0.00	0	8.57
NTCP	10.76	6.02	1.16	0	15.62
NPCDCS	20.23	-6.48	0.00	0	13.75
NOHP	5.03	3.70	0.78	0	7.95
NPHCE	15.51	4.47	0.00	0	19.98
NMHP	6.08	-4.78	0.00	0	1.30

iii).इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं जिला योजना द्वारा क्या जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणीकी है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

- प्रमुख सचिव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
- महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
- निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल
- मुख्य च कत्सा अधिकारी
- अतिरिक्त मुख्य च कत्सा अधिकारी
- प्रभारी च कत्सा अधिकारी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध:- वर्तमान लेखापरीक्षा 01/2017 से 02/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय मुख्य च कत्सा अधिकारी, बागेश्वर के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अधिकारी, बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर -1 निर्माण कार्यों की धनराश रु 21.59 लाख का अवरुद्ध रखा जाना।

मुख्य च कत्सा अधिकारी बागेश्वर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनपद बागेश्वर के अंतर्गत 200 शैयायुक्त बेस च कत्सालय के निर्माण कार्यों के अंतर्गत प्रथम चरण के कार्यों को पूर्ण करने हेतु रु 65,13,080/-की धनराश माह अप्रैल 2016 में परियोजना प्रबंधक, उत्तराखंड पेयजल निगम बागेश्वर को उपलब्ध कराई गई थी, निर्माण इकाई द्वारा इस कार्यालय को रु 50.00 लाख की धनराश को व्यय कर कार्य किए जाने संबंधी उपयुक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार उपरोक्त व्यय के उपरांत रु 15.13 लाख की धनराश निर्माण इकाई के पास अनुपयोगी/ अवरुद्ध पड़ी थी जिसे लगभग 02 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी इस कार्यालय को वापस नहीं किया गया था।

इसी प्रकार बागेश्वर में राजकीय ए एन एम स्कूल के प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु रु 6.46 लाख की धनराश उत्तराखंड पेयजल संसाधन निर्माण एवं विकास निगम बागेश्वर को दिनांक 22.02.2012 को प्रदान की गयी, परंतु धनराश प्रदान करने के 06 वर्षों की अवधि बीत जाने के पश्चात भी उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न किए जाने संबंधी कोई प्रमाण वभाग के पास उपलब्ध नहीं था एवं न ही उक्त धनराश इस कार्यालय को वापस की गयी थी। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि बेस च कत्सालय के निर्माण कार्यों के अंतर्गत प्रथम चरण के कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रदत्त की गयी धनराश में से अवशेष धनराश रु 15.13 लाख को निर्माण इकाई से प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जाएगा तथा राजकीय ए एन एम स्कूल के प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त की गयी धनराश का इकाई से उपयुक्त प्रमाण पत्र मांगा जाएगा एवं उपयुक्त प्रमाण पत्र न उपलब्ध करने की स्थिति में धनराश को वापस प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जाएगा। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि निर्माण इकाई को धनराश प्रदान करने के पश्चात कार्यालय मुख्य च कत्सा अधिकारी बागेश्वर द्वारा इन कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था फलतः इन कार्यों की प्रगति के बारे में इकाई को कुछ भी ज्ञात नहीं था तथा निर्माण इकाई स्तर पर रु 21.59 लाख की धनराश वगत 02 से 06 वर्षों की अवधि से अनुपयोगी/ अवरुद्ध पड़ी थी। अतः रु 21.59 लाख की अवरुद्ध धनराश का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर -2 जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु 4.67 लाख की धनराश का भुगतान निर्धारित समयावध में न कया जाना।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि माता एवं शिशु मृत्यु की दर को कम कया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राश के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में रु 1400/- एवं शहरी क्षेत्रों में रु 1000/- का भुगतान चेक के माध्यम से कया जाना था। योजना के अधीन प्रोत्साहन राश के वतरण हेतु एवं IPHS निर्धारित शर्तों के अनुसार -

- 1-लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र में रुकना आवश्यक है।
- 2-लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से देय राश का भुगतान कया जाना चाहिए एवं प्रसव से 07 दिन पूर्व अथवा 07 दिन बाद कया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि भुगतान पंजिका में माता को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करने की तिथि अंकित नहीं की जा रही थी जिससे यह सुनिश्चित नहीं कया जा सकता कि प्रसव के बाद लाभार्थी 48 घंटे तक चिकित्सालय में रहा है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त जनवरी 2017 से फरवरी 2018 की अवधि में वर्ष 2016-17 के अंतर्गत मात्र 02 लाभार्थियों का भुगतान 07 दिन की निर्देशित अवधि में कया गया इसी प्रकार वर्ष 2017-18 के अंतर्गत मात्र 04 लाभार्थियों को भुगतान 07 दिन की अवधि के भीतर कया गया। इस प्रकार वर्ष 2016-17 के अंतर्गत 69 मामलों में एवं वर्ष 2017-18 के अंतर्गत 176 मामलों में भुगतान की गयी रु 4,66,800/- की धनराश योजना के दिशानिर्देशों के वपरीत निर्धारित अवधि से भुगतान नहीं की गई।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार एवं स्थानीय लोगों के दबाव में प्रसव से 10-12 घंटे के पश्चात महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तथा वर्तमान में प्रोत्साहन धनराश का भुगतान ऑन-लाइन कया जा रहा है, लाभार्थी का बैंक खाता संबंधी ववरण प्राप्त करने में समय लगने के कारण समय से इसका भुगतान नहीं कया जा सका। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्त की पुष्टि करता है अतः रु 4.67 लाख की धनराश का अवैध भुगतान निर्धारित अवधि से न कये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 3:- धनराश रु 11.29 लाख की औषधों के क्रय में शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषध क्रय नीति पर शासनादेश संख्या -932/XXXVIII-4-2014-28(8)/2012, दिनांक 13 जुलाई 2015 (चकत्सा अनुभाग -4) के वंदु संख्या 11 में स्पष्ट निर्देशित किया गया था की 'प्रत्येक निवदा दाता फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषध उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी एवं औषध के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकंग प्रदर्शन पर यू. के. जी. सप्लाई 'नॉट फॉर सेल' इंडे लबल इंक से लखा जाना अनिवार्य होगा। औषधों की पैकंग हेतु दिये गए स्पेसिफिकेशन ही मान्य होंगे।

कार्यालय मुख्य चकत्सा अधिकारी, बागेश्वर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई द्वारा कुल रु. 386383/- (सूची संलग्न) मूल्य के ऐसी औषधों का क्रय किया गया जो उनके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी थी एवं रु 742373/- (सूची संलग्न) मूल्य के ऐसी औषधों का क्रय किया गया जिनके बिल/खाउचर पर औषध-निर्माता/आपूर्ति फर्म द्वारा औषध के निर्माण की तिथि (Manufacturing date) अंकित नहीं किया गया है जिस कारण औषध-निर्माता/आपूर्ति फर्म द्वारा इकाई को तीन माह से कतनी अधिक पुरानी औषधों की आपूर्ति की गई थी, औषध-निर्माता/आपूर्ति फर्म के बिलों से ज्ञात किया जाना संभव नहीं था। निर्माण तिथि से जितनी अधिक पुरानी औषधों का क्रय होगा, उसका उतने ही कम समय तक औषधालय में उपयोग होने की संभावना बनी रहेगी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चकत्सा अधिकारी, बागेश्वर ने लेखापरीक्षा आपत्त को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में इस कमी की पुनरावृत्त नहीं की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषध क्रय नीति विषय पर शासनादेश संख्या -932/XXXVIII-4-2014-28(8)/2012, दिनांक 13 जुलाई 2015 (चकत्सा अनुभाग -4) के दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया गया था।

अतः धनराश रु 11.29 लाख के औषधों के अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<b>Purchase of Medicine</b>									
<b>Name of Supplier</b>	<b>Bill No.</b>	<b>MFD</b>	<b>Date of Supply</b>	<b>Name of Medicines</b>	<b>Quantity</b>	<b>Rate/Unit</b>	<b>Amount</b>	<b>Vat @5% &amp; GST</b>	<b>Total Value</b>
Capital Biotech, Dehradun	CB/16-17/0198	Nov-16	Mar-17	Tab Ciprofloxacin 250 mg	100000	119.33 for 100 Tab	119330	5966.5	125297
Capital Biotech, Dehradun	CB/16-17/0196	Aug-16	Mar-17	Tab Ofloxacin 500 mg	20000	203.92 for 100 Tab	40784	2039.2	42823
Capital Biotech, Dehradun	CB/16-17/0197	Feb-16	Mar-17	Povidone Iodine Ointment 15 gm.	232	8.05 per tube	1867.6	93.38	1961
Capital Biotech, Dehradun	CB/16-17/0195	Nov-16	Mar-17	Cap Amoxycillin 250 mg	30000	147.41 for 100 Cap	44223	2211.15	46434
Capital Biotech, Dehradun	CB/DDN//17-18/GST/098	Jun-17	Oct-17	Tab Pantoprazole 40 mg	50000	57.38 for 100 Tab	28690	3442.8	32133
Capital Biotech, Dehradun	CB/DDN//17-18/GST/097	Jun-17	Oct-17	Syp Paracetamol 125 mg	3000	10.79 per unit	32370	3884.4	36254
Capital Biotech, Dehradun	CB/DDN//17-18/GST/115	Aug-17	Nov-17	Silver Sulphadiazine 20 mg	5000	9.20 each	46000	5520	51520
Sunrise Enterprises, Roorkee	16	Mar-17	Sep-17	Inj Phinramin Maleate 2 ml	3000	4.80 each	14400	0	14400
Sunrise Enterprises, Roorkee	16	Apr-17	Sep-17	Inj Aderline 1 ml	200	5.10 each	1020	0	1020
Sunrise Enterprises, Roorkee	16	Apr-17	Sep-17	Inj Metaclopramide 2 ml	1500	5.10 each	7650	0	7650
Sunrise Enterprises, Roorkee	16	Feb-17	Sep-17	Inj Daizapam	50	11.20 each	560	0	560
Sunrise Enterprises, Roorkee	15	May-17	Sep-17	Syp Metro+Norfloxacin	1000	24.00 each	24000	0	24000
Green Line Pharma	90	Jun-16	Feb-17	Ciprofloxacin Eye Drop	200	5.4 each	1080	54	1134
Green Line Pharma	90	Jun-16	Feb-17	Cipro+Dexa Eye Drop	200	5.70 each	1140	57	1197
									<b>386383</b>
Capital Biotech, Dehradun	CB/16-17/0197	Not mentioned	Mar-17	Povidone Iodine Ointment 15 gm.	568	8.05 per tube	4572.24	228.612	4800.852
Universal Enterprises, Dehradun	8681	Not mentioned	Mar-17	Tab Cetrizine 10 mg.	150000	22.33 for 100 Tab	33495	1674.75	35169.75
Universal Enterprises, Dehradun	8683	Not mentioned	Mar-17	Tab Diclofenac Sodium 50 mg	73000	26.15 for 100 Tab	19089.5	954.475	20043.975

Universal Enterprises, Dehradun	8551	Not mentioned	Feb-17	Syp Amoxycillin 60 ml	5000	16.45 for 60 ml.	82250	4112.5	86362.5
Universal Enterprises, Dehradun	8551	Not mentioned	Feb-17	Syp Cetrizine 60 ml	840	11.95 for 60 ml	10038	501.9	10539.9
Universal Enterprises, Dehradun	8551	Not mentioned	Feb-17	Syp Cetrizine 60 ml	2160	11.95 for 60 ml	25812	1290.6	27102.6
Universal Enterprises, Dehradun	8550	Not mentioned	Feb-17	Inj Gentamycin 2 ml	6000	3.69 per inj	57960	2898	60858
Universal Enterprises, Dehradun	8550	Not mentioned	Feb-17	Inj Diclofenac Sodium 3 ml	15000	9.66 per inj	55350	2767.5	58118
Universal Enterprises, Dehradun	8550	Not mentioned	Feb-17	Inj Ranitidine 2 ml	6000	3.30 per inj	19800	990	20790
Universal Enterprises, Dehradun	8550	Not mentioned	Feb-17	Inj Amekacin 500 mg	3000	17.24 per inj	51720	2586	54306
Universal Enterprises, Dehradun	8682	Not mentioned	Mar-17	Tab Ciprofloxacin 500 mg	100000	222.37 for 100 Tab	222370	11118.5	233488.5
Jai Ambay Medical Store	61	Not mentioned	Jan-17	Povidone Iodine Ointment 15 gm.	450	17.10 per tube	7695	0	7695
Green Line Pharma	23	Not mentioned	Sep-17	Inj Rabbits Vaccine	130	264.6 each	34320	1716	36036
Green Line Pharma	24	Not mentioned	Sep-17	Inj Snake Venum/Verum	20	465 each	9300	1116	10416
Rishab Enterprises	2992	Not mentioned	Nov-16	Tropec-P Eye Drop	50	53.60 each	2680	134	2814
Rishab Enterprises	2992	Not mentioned	Nov-16	Sutune 8-o	24	375 each	9000	1080	10080
Kanika Enterprises	41	Not mentioned	Aug-17	Widal Test Kit	4	650 each	2600	0	2600
Kanika Enterprises	41	Not mentioned	Aug-17	Serum Uric Acid Test Kit	2	725 each	1450	0	1450
Kanika Enterprises	41	Not mentioned	Aug-17	Serum Cholestrol Test Kit	1	1050 each	1050	0	1050
Kanika Enterprises	41	Not mentioned	Aug-17	SGOT Test Kit	1	1150 each	1150	0	1150
Kanika Enterprises	41	Not mentioned	Aug-17	SGPT Test Kit	1	1150 each	1150	0	1150



Kanika Enterprises	41	Not mentioned	Aug-17	Serum Triglyceride Test Kit	1	2150 each	2150	0	2150
Kanika Enterprises	41	Not mentioned	Aug-17	M P Card	100	70 each	7000	0	7000
Jai Ambay Medical Store	1	Not mentioned	Feb-16	Syp Amoxy 30 ml	300	19.21 each	4841*	0	4841
Jai Ambay Medical Store	1	Not mentioned	Feb-16	Syp Cefexim	300	42 each	10584*	0	10584
Jai Ambay Medical Store	1	Not mentioned	Feb-16	Syp Cetirizine	1000	18 each	15120*	0	15120
Jai Ambay Medical Store	1	Not mentioned	Feb-16	Syp Torex	100	48.3 each	4057*	0	4057
Jai Ambay Medical Store	1	Not mentioned	Feb-16	Syp B-Complex	200	75 each	12600*	0	12600
									<b>742373.1</b>
<b>*16% Discount</b>									

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 4:- धनराश रु 17.22 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वत वभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 177/XXXVII(7)/2008, दिनांक 01 मई 2008 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के मौलिक सद्धांत के नियम 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पकता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय कम जाने वाली धनराश का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके एवं नियम 3 के बिन्दु संख्या (10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिये यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा के एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को वभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के अंकित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी के संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे छोटे भागों में वभक्त किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा कोटेशन/निविदा प्रक्रिया एवं उच्च अधिकारी की संस्तुति प्राप्त किए बिना रु.17,22,409/- की औषधियों का क्रय छोटे छोटे भागों में वभाजित कर किया गया जिसका ववरण निम्नवत है -

(धनराश रु. में)

औषध का नाम	फ़र्म का नाम	बिल संख्या	क्रय की तिथि	मात्रा	मूल्य
Tab Albendazole 400 mg	Capital Biotech	CB/16-17/0198	10.03.2017	16000	149922
Tab Ciprofloxacin 400 mg	Capital Biotech	CB/16-17/0198	10.03.2017	100000	
Tab Metronidazole 400 mg	Capital Biotech	CB/16-17/0195	10.03.2017	80000	119254
Cap Amoxicillin 250 mg	Capital Biotech	CB/16-17/0195	10.03.2017	30000	
Cap Amoxicillin 500 mg	Capital Biotech	CB/16-17/0196	10.03.2017	20000	98891
Tab Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg	Capital Biotech	CB/16-17/0196	10.03.2017	20000	
Povidone Iodine 15 mg	Capital Biotech	CB/16-17/0197	10.03.2017	5900	49870
Tab Cetrizine 10 mg	Universal Enterprises	8681	09.03.2017	150000	35170
Inj. Diclofenac Sodium 3 ml	Universal Enterprises	8550	21.02.2017	15000	194072
Inj. Gentamycin 80 mg	Universal Enterprises	8550	21.02.2017	6000	
Inj. Ranitidine 2 ml	Universal Enterprises	8550	21.02.2017	6000	
Inj. Amikacin 500 mg	Universal Enterprises	8550	21.02.2017	3000	
Tab Diclofenac Sodium 50mg	Universal Enterprises	8683	09.03.2017	73000	20044
Tab Ciprofloxacin 500 mg	Universal Enterprises	8682	09.03.2017	100000	233489
Amoxycillin Dry Syp. 60 ml	Universal Enterprises	8551	21.02.2017	5000	124005
Syp. Cetrizine	Universal Enterprises	8551	21.02.2017	3000	
Disposable Syringe 5 ml	Green Line Pharma	117	22.03.2017	3000	10993
X-Ray Film 10"x12"	Green Line Pharma	101	05.03.2017	5x50	39502
X-Ray Film 10"x15"	Green Line Pharma	101	05.03.2017	5x50	

I.V. Cannula 24 No.	Green Line Pharma	115		500	12600
Gauge Than 60 cm x 18 mtr.	A. V. Enterprises	414	21.03.2014	200	30450
Bandage Than 100cm x20mtr	Kanika Enterprises	175	18.03.2017	117	34398
Antiseptic Lotion 1000 ml	Kanika Enterprises	159/16-17	10.03.2017	200	26250
Cotton Rolled Bandage	Kanika Enterprises	158/16-17	07.03.2017	400	46200
I. V. Set	Kanika Enterprises	147/16-17	28.02.2017	6000	40950
Rolled Bandage	Jay Ambey Medical	70	29.01.2017	40	1349
Povidone Iodine Ointment	Jay Ambey Medical	61	25.01.2017	450	7695
Tab Paracetamol 500 mg	Universal Enterprises	294	04.12.2017	200000	93497
Inj. Amikacin 500 mg	Universal Enterprises	281	23.11.2017	3000	119889
Inj. Diclofenac Sodium 3 ml	Universal Enterprises	281	23.11.2017	15000	
Syp. Metronidazole + Norfloxacin 30 ml	Sunshine Enterprises	15	19.09.2017	542	13008
Inj. Adrenaline 1 ml	Sunshine Enterprises	16	19.09.2017	200	23630
Inj. Diazepam 2 ml	Sunshine Enterprises	16	19.09.2017	50	
Inj. PheneramineMalete 2ml	Sunshine Enterprises	16	19.09.2017	3000	
Inj. Metachlorpramide 2 ml	Sunshine Enterprises	16	19.09.2017	1500	
Inj. Anti-Snake Verum	Green Line Pharma	GLP/17-18/24	24.09.2017	20 Vial	10410
Inj. Rabipur ARV	Green Line Pharma	GLP/17-18/23	24.09.2017	130Vial	36036
Syp Paracetamol 60 ml	Capital Biotech	CB/DDN/17-18/GST/097	16.10.2017	3000	36254
Inj. Frusmid 2 ml	Capital Biotech	CB/DDN/17-18/GST/098	16.10.2017	500	63031
Tab Pentaprazole 40 mg	Capital Biotech	CB/DDN/17-18/GST/098	16.10.2017	50000	
Povidone Iodine Solution 500 ml	Capital Biotech	CB/DDN/17-18/GST/098	16.10.2017	300	
Silver Sulphadizine Cream 20 gm	Capital Biotech	CB/DDN/17-18/GST/0115	17.11.2017	5000	51550
<b>Total</b>					<b>1722409</b>

लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया क भवष्य में अधप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क अधप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लए यथासाध्य अधकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधप्राप्ति का प्रयास कया जाना चाहिए था

अतः धनराश रु 17.22लाख के औषधियों के अनियमत क्रय कये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- रु 2.49 लाख की धनराश के अनियमित निर्माण कार्यों का भुगतान।

कार्यालय मुख्य चकत्सा अधिकारी, वागेश्वर द्वारा राज्य योजना एवं जिला योजना के अंतर्गत निम्न 03 कार्य कराये गए -

- 1-Construction of storeroom(part-1) at CMO Office
- 2- Construction of parking for ambulance at CMO office
- 3- Repairing, tiling and roof repairing of Residential Qtr (cat.II)  
no.03, CMO Office

सामान्यतः निर्माण कार्य करने से पूर्व निर्माण कार्यों हेतु चयनित कार्यस्थल की आवश्यकता एवं कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर प्रस्तावित कार्यों की सूची एवं लंबाई चौड़ाई के आधार पर कार्य की मात्रा का उल्लेख करते हुए आंकलन तैयार किया जाता है। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कार्य की मात्रा अथवा श्रेणी में कसी भी परिवर्तन अथवा वचलन होने की संभावना पर इसे सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में लाकर पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। उपरोक्त कार्यों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्रमांक 01 पर अंकित कार्य के अंतर्गत रु 43781/- के कार्य आंकलित मात्रा से अधिक मात्रा में संपादित कराये गए जबकि अधिक मात्रा में कार्य कराये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से कसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। इसी प्रकार क्रमांक 01,02, एवं 03 पर अंकित कार्यों के अंतर्गत रु 205,301/- के अतिरिक्त कार्य कराये गए। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य स्वीकृत आंकलन में सम्मिलित नहीं थे एवं न ही इन कार्यों को कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी, साथ ही इन कार्यों का भुगतान भी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त तीनों कार्यों के अंतर्गत किया गया रु 2.49 लाख का भुगतान अनियमित था।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि रु 43781/- के कार्य हेतु वचलन पत्र स्वीकृत करने का कार्यवाही की जाएगी तथा अतिरिक्त कराये गए कार्यों की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व भुगतान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था, जो नहीं प्राप्त की गयी थी।

इस प्रकार रु 2.49 लाख के अनियमित कार्यों के भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:- व वध प्राप्तियों की धनराश रु 2.63 लाख की प्रवृष्टि रोकड़ बही में न कया जाना तथा वलंब से शासकीय खाते में जमा कया जाना।

(Rule 13(ii) of CGA (R&P) Rules – Maintenance Cash Book) के अनुसार कार्यालयों में रोकड़-बही के समुचित रख-रखाव के संबंध में स्पष्ट निर्देश है कि "All monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and be attested by the DDO in token of such check."

कार्यालय मुख्य चकत्सा अधिकारी, बागेश्वर की रोकड़-बही एवं अन्य लेखा-अभिलेखों की (अवध 01/2017 से 02/2018) नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई कोसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में कुल रु 2.63/- लाख की धनराश प्राप्त हुई थी जिसको रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था जबकि इस धनराश को रोकड़-बही के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाना चाहिए था। ववरण निम्नवत है :-

(धनराश रु में)

ववरण/मद	धनराश (रु)
सूचना का अधिकार	220
मे डकल प्रमाण-पत्रों को जारी करने से	86550
यूजर चार्ज से	111079
टैंडर फार्म की वक्री से	64900
योग =	262749/-

जाँच में आगे पाया गया कि इकाई के पास कोई कैश-चेस्ट नहीं थी तथा प्राप्तियों की राशियाँ नकद में प्राप्त हो रही थी जिसे तत्काल न तो राजकोष में जमा कया जा रहा था तथा न ही बैंक खाते में जमा कया जा रहा था। इकाई द्वारा नकद में प्राप्त धनराशियाँ कार्यालय की अलमारी में ही रखी जा रही थी जिस कारण इसके दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं कया जा सकता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस धनराश को माह के अंत में राजकोष में चालान द्वारा जमा कया जा रहा था। इसके अतिरिक्त इकाई को सूचना के अधिकार के अंतर्गत रु 220/- की धनराश पोस्टल ऑर्डर के रूप में प्राप्त हुई थी जिसे इसकी प्राप्ति के एक वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी कैश नहीं कराया गया था, फलतः ये धनराश शासकीय खाते में जमा कया जाना शेष था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्त को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राप्तियों की धनराश को कार्यालय की अलमारी में रखा जाता है तथा चकत्सा प्रमाण पत्र से प्राप्त, यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशियों का क्रमशः 50% संबन्धित चकत्सा अधिकारी को तथा 50% बैंक खाते में एवं 50-50% राजकीय कोष में जमा कया जाता

हैएवं पोस्टल ऑर्डरों को शीघ्र ही कैश कराकर इसकी धनराश शासकीय खाते में जमा कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क व वध प्राप्तियों की धनराश को रोकड़-बही मे दर्शाया जाकर तत्काल राजकोष में जमा कया जाना आवश्यक था ता क धनराश्यों के कसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचा जा सके।

अतः व वध प्राप्तियों की धनराश रु 2.63 लाख की प्र वष्टि रोकड़-बही न कये जाने वलंब से शासकीय खाते में जमा कए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

**भाग-III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
24/2011-12	1, 2, 3,	-	-	-
143/2016-17	-	1, 2,	1, 2,	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
24/2011-12	भाग- 2'अ'प्रस्तरसं- 1, 2, 3,	अप्रस्तुत	यथावतरखाजाता है।	-
143/2016-17	भाग- 2'ब'प्रस्तरसं- 1, 2,	अप्रस्तुत	यथावतरखाजाता है।	-

**भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य.....

भाग-Vआभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्य च कत्सा अ धकारी, बागेश्वर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:-

अप्रस्तुत अ भलेख: वेतन पंजिका, ANM स्कूल तथा बेस च कत्सालय के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के आगणन एवं अंतिम भुगतान से संबन्धित वाउचर, चयनित माह 03/2017 के वेतन भत्तों से संबन्धित वाउचर।

2). सतत् अनिय मतताएःशून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 संजय कुमार साह	मुख्य च कत्सा अ धकारी, बागेश्वर।	30.06.2016 से 15.05.2017 तक
डॉ0 शैलजा भट्ट	मुख्य च कत्सा अ धकारी, बागेश्वर।	16.05.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य च कत्सा अ धकारी, बागेश्वर इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट I.H.M, कौलगढ़ रोड देहरादून, को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र